

क्षेत्रीय विकास आयुक्त सीपूज-एसईजेड, मुंबई की अध्यक्षता में नियतिनुख इकाइयों के लिए अनुमोदन समिति की 06.08.2026 को आयोजित 9 वी बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थित सदस्य:

क्र.	नाम एवं पदनाम(श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्रीमती मितल हिरेमठ, संयुक्त विकास आयुक्त	पुणे क्लस्टर एसईजेड, पुणे
2	श्री सुनील कुमार, उप आयुक्त, आयकर विभाग	आयकर विभाग से नामित
3	श्री संजीव पाटिल, उद्योग अधिकारी, पुणे क्षेत्र	महाराष्ट्र सरकार से नामित
4	श्री प्लेटो लोबो, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशक	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
5	श्री नवनाथ अवताडे, उप क्षेत्रीय अधिकारी	महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नामित
6	श्री. मुकेश कुमार, अधीक्षक	सीमा शुल्क विभाग, पुणे से नामित

विशेष आमंत्रित :

क्र.	नाम एवं पदनाम(श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्री नितिन अग्रवाल	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, नागपुर

एजेंडा विषय क्र. 01: - 30.03.2026 को आयोजित 8 वी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

विचार विमर्श के बाद-, समिति ने 30.03.2026 को आयोजित अनुमोदन समिति की 8 वी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

एजेंडा विषय क्र. 02: 30.03.2026 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की कार्रवाई रिपोर्ट ।

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 30.03.2026 को आयोजित बैठक के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट नोट की ।

एजेंडा विषय क्र 03: मैसर्स ग्रीनलाइफ प्रोडक्ट्स द्वारा ईओयू (EOU) इकाई की स्थापना के लिए आवेदन।

मैसर्स ग्रीनलाइफ प्रोडक्ट्स (आवेदक), औद्योगिक शेड, प्लॉट नं. G-28, MIDC वर्धा औद्योगिक क्षेत्र, वर्धा, महाराष्ट्र द्वारा Clove Powder, Areca Powder, Nutmeg Powder, Dried Turmeric Powder तथा Red Chilli Powder के विनिर्माण हेतु नई 100% EOU स्थापित करने के प्रस्ताव को FTP, 2023 के पैरा 6.05(a) को HBP के पैरा 6.01(b) के साथ पढ़ते हुए, विचारार्थ अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

समिति ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया तथा सहायक आयुक्त, डिवीजन-I, सीमा शुल्क, नागपुर द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट सहित समिति के समक्ष रखी गई जानकारी/दस्तावेजों का संज्ञान लिया।

समिति के अवलोकन:

1. समिति ने यूएसी के विशेष आमंत्रित सदस्य, एडीसी, कस्टम्स, नागपुर द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार किया, जिसमें विशेष रूप से सुपारी (Betel Nuts) के डायवर्जन से संबंधित राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) द्वारा दर्ज मामलों को रेखांकित किया गया।

हालांकि, समिति ने एडीसी, कस्टम्स से प्रतिप्रश्न किया कि यदि उनके द्वारा व्यक्त की गई राय उनके कार्यालय की आधिकारिक राय है, तो उनके कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अनुशंसा किस आधार पर की गई है। इस संबंध में वे कोई संतोषजनक एवं ठोस उत्तर नहीं दे सके।

इसके अतिरिक्त, सुपारी के डायवर्जन से संबंधित प्रमुख DRI मामलों का उल्लेख करने के अलावा, वे सुपारी के संभावित डायवर्जन को रोकने एवं उसकी पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में भी कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं कर सके।

2. समिति ने अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, नागपुर द्वारा की गई इस टिप्पणी का भी संज्ञान लिया कि आवेदक का स्वामित्व/व्यवसायिक आधार कोलकाता में होने के बावजूद वर्धा, महाराष्ट्र में इकाई स्थापित करने का औचित्य क्या है।
3. आवेदक, श्री प्रसेनजीत दास ने इसके उत्तर में प्रस्तुत किया कि वर्धा क्षेत्र में विद्यमान शुष्क एवं कम आर्द्रता वाली जलवायु परिस्थितियाँ (सुपारी में अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक अर्थात् नमी सोखने वाले तत्व होने के कारण) तैयार उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनुकूल हैं। विशेष रूप से, ये परिस्थितियाँ पाउडरयुक्त उत्पादों में गुठली बनने (Lump Formation) की समस्या को रोकने में सहायक हैं।
4. समिति ने आवेदक के प्रस्ताव पर आगे विचार किया तथा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत निम्नलिखित बिंदुओं के अनुपालन तक प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया:

- (a) उस विदेशी ग्राहक का सत्यापन प्रस्तुत किया जाए, जिसमें पासपोर्ट सत्यापन भी शामिल हो, जिसके साथ आवेदक ने कच्चे माल की आपूर्ति तथा पूंजी की अग्रिम उपलब्धता/प्रदान करने के संबंध में प्रतिबद्धता पत्र निष्पादित किया है।
- (b) समिति ने संज्ञान लिया कि सीमा शुल्क द्वारा सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित परिसर के चारों ओर कंटीले तार की बाड़ है। तथापि, Areca Nut से संबंधित कच्चे माल/तैयार माल की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए समिति ने आवेदक को शुल्क-बद्ध परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उचित परिसीमा दीवार का निर्माण करने के पश्चात प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
- (c) MIDC द्वारा MIDC भूमि के मूल आवंटि अर्थात् मैसर्स नवाकर ऑयल इंडस्ट्रीज, जिसके प्रोप्राइटर श्री जितेंद्र रमेशचंद्र कोठारी हैं, के साथ निष्पादित करार की प्रति प्रस्तुत की जाए, साथ ही परिसर को किसी निजी तृतीय पक्ष को उप-पट्टे करने हेतु आवश्यक NOC अथवा अनुमति प्रस्तुत की जाए।
- (d) आवेदक तथा MIDC भूमि के मूल आवंटि के मध्य निष्पादित पंजीकृत लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की जाए, जो परिसर को किसी निजी तृतीय पक्ष को Sub-let करने हेतु आवश्यक NOC अथवा अनुमति के अधीन होगी।
- (e) प्रस्तावित परियोजना में निवेश हेतु ऋण/पूंजी उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों अथवा कंपनी की वित्तीय क्षमता स्थापित करने वाले सहायक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं।
- (f) विदेशी ग्राहक द्वारा निर्यात किए जाने वाले तैयार उत्पादों, विशेष रूप से Areca Powder, के अंतिम उपयोग एवं उपयोगिता का विशिष्ट विवरण प्रस्तुत किया जाए।

समिति का निर्णय:

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात अनुमोदन समिति ने मैसर्स ग्रीनलाइफ प्रोडक्ट्स द्वारा प्रस्तावित 100% EOU की स्थापना के प्रस्ताव को स्थगित (defer) करने का निर्णय लिया। आवेदक को उपर्युक्त दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, ताकि प्रस्ताव की पुनः जांच एवं विचार समिति द्वारा किया जा सके।

आवश्यक दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्राप्त होने तथा समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन एवं सत्यापन के पश्चात प्रस्ताव को पुनः अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

तदनुसार, एजेंडा स्थगित (defer) किया गया।

एजेंडा विषय क्र 04: मेसर्स आर्कलाइट स्पेशलिटी लैम्प्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में एपीआर के प्रदर्शन की निगरानी।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत, समिति ने हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, 2023 (HBP-2023) के पैरा 6.12 तथा HBP-2023 के परिशिष्ट 6F, भाग-B (योजना-विशिष्ट शर्तें) के खंड 7(क) एवं 7(ख) के प्रावधानों के अनुसार इकाई के दो ब्लॉक अवधियों (प्रत्येक 5 वर्ष) अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2023-24 (13.06.2023 तक) के प्रदर्शन का संज्ञान लिया।

समिति ने यह भी अवलोकन किया कि इकाई ने उक्त दो ब्लॉक अवधियों (प्रत्येक 5 वर्ष) अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2023-24 (13.06.2023 तक) के दौरान संचयी आधार (Cumulative Basis) पर सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन (Positive NFE) प्राप्त किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ब्लॉक अवधि	निगरानी अवधि	प्राप्त संचयी एनएफई (रु. लाख में)	संचयी % NFE प्राप्त
दूसरा	5 वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18	940.81	38.24%
तीसरा	5 वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक (01.04.2023 से 13.06.2023 तक की अवधि सहित)	900.69	84.44%

समिति ने वित्तीय वर्ष 2018-19 (15 दिन), 2021-22 (117 दिन) एवं 2023-24 (765 दिन) के लिए APR दाखिल करने में हुए विलंब को संज्ञान में लिया तथा इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

एजेंडा विषय क्र 05: मेसर्स जॉन डीयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में एपीआर के प्रदर्शन की निगरानी।

अनुमोदन समिति ने अपनी बैठक में मैसर्स जॉन डीयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक निर्यातोन्मुख इकाई (EOU), के प्रदर्शन की समीक्षा की। समिति ने अवलोकन किया कि इकाई ने प्रथम ब्लॉक अवधि (5 वर्ष), अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, तथा द्वितीय ब्लॉक अवधि के प्रथम तीन वर्षों, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संचयी आधार पर सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन (Positive NFE) प्राप्त किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ब्लॉक अवधि	निगरानी अवधि	प्राप्त संचयी एनएफई (रु. लाख में)	संचयी % NFE प्राप्त
पहला	5 वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23	2898.23	60.32%
दूसरा	तीन वर्ष, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक	2402.09	64.97%

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Minutes of the 9th Meeting of the Approval Committee for Export Oriented Units Under the Chairmanship of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ, Mumbai held on 06.08.2026.

Members present:

Sr No	Name and Designation(Smt./Shri)	Department
1	Smt. Mital Hiremath, Jt. Development Commissioner	Pune Cluster SEZ, Pune
2	Shri. Sunil Kumar, Dy. Commissioner, IT	Nominee of Income Tax, Pune
3	Shri. Sanjiv Patil, Industries Officer, Pune Region	Nominee of Govt. of Maharashtra
4	Shri Plato Lobo, Asstt. Director General of Foreign Trade	Nominee of DGFT, Pune

5	Shri Navanath Awatade, Sub Regional Officer	Nominee of Maharashtra Pollution Control Board
6	Shri. Mukesh Kumar, Superintendent	Nominee of Customs, Pune

Special Invitee:

Sr	Name and Designation (Smt/Shri.)	Department
1	Shri. Nitin Agarwal	Additional Commissioner (ADC), Customs, Nagpur

Agenda Item No.01: Confirmation of the Minutes of the 8th meeting held on 30.03.2026.

After deliberation, the Committee confirmed the minutes of the 8th meeting of Approval Committee held on 30.03.2026

Agenda Item No.02: Action taken report for the minutes of the meeting held on 30.03.2026.

After deliberation, the Committee noted the Action taken report for the meeting held on 30.03.2026.

Agenda Item No. 03: Application for setting up of EOU Unit submitted by M/s. Greenlife Products.

The proposal of M/s. Greenlife Products (the Applicant), Industrial Shed at Plot No. G-28, MIDC Wardha Industrial Area, Wardha, Maharashtra, for setting up a new 100% EOU for manufacture of **Clove Powder, Areca Powder, Nutmeg Powder, Dried Turmeric Powder and Red Chilli Powder**, in terms of Para 6.05(a) of FTP, 2023 read with Para 6.01(b) of the Handbook of Procedures, was placed before the Unit Approval Committee for consideration. The Committee deliberated on the proposal and took note of the information/documents placed before it, including the verification report furnished by Assistant Commissioner, Division-I, Customs, Nagpur.

Observations of the Committee :

1. The Committee noted the objections raised by the ADC, Customs, Nagpur (Special Invitee to the UAC) particularly highlighting the cases registered by the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) relating to diversion of betel nuts. But committee asked counter question to ADC custom that if his opinion is official opinion of his office then at what basis his office is recommended this proposal he has not given convincing reply for the same. Other than predominant DRI cases of Betel nuts he has not given convincing reply for safeguarding the diversion of Betel nuts.
2. The Committee also noted the observation made by the ADC, Customs, Nagpur, regarding the rationale for the proprietor, being based in Kolkata proposing to establish the unit at Wardha, Maharashtra.
3. In response, the applicant, Shri Prasenjit Das, submitted that the dry and less humid climatic conditions (due to Highly hygroscopic ingredients betel nuts) prevailing in the Wardha region are suitable for maintaining the quality of the finished products, particularly in preventing lump formation in the powdered products.
4. The Committee further noted the proposal of the applicant and, after deliberation, decided to defer the proposal pending compliance of the following points by the applicant:
 - (a) Submission of Foreign Client verification, along with passport verification, in respect of the client with whom the applicant has executed the commitment letter for supply of raw materials and providing advance of capital.
 - (b) The Committee noted that as per the Customs Verification Report the proposed premise is surrounded by barbed-wire fencing. However, the Committee after considering the sensitive nature of the raw material/finished goods of Arecanut, directed the applicant to submit the proposal after construction of the Boundary wall for ensuring security

of the Bonded premises.

(c) A copy of the agreement executed by MIDC with the primary allottee (M/s. Nawakar Oil Industries through its Proprietor Jitendra Rameshchand Kothari) of the MIDC land, along with the requisite NOC or permission from MIDC for sub-letting the premises to a private third party.

(d) A copy of the registered lease deed executed between the applicant and the primary allottee of the MIDC land, subject to requisite NOC or permission for sub-letting the premises to a private third party.

(e) Supporting documentary evidence establishing the financial capability/net worth of the persons/company proposing to lend/provide capital for investment in the proposed project.

(f) Specific details w.r.t. end use and utility of the finished products proposed to be exported (specially Areca powder) by the Foreign Client.

Decision of the Committee

After detailed deliberation, the UAC decided to defer the proposal of M/s. Greenlife Products for setting up of the proposed 100% EOU. The applicant was directed to submit the above documents/clarifications for examination and consideration of the proposal afresh by the Committee.

The proposal may be placed before the UAC again after receipt and verification of the requisite documents/clarifications and compliance with the directions of the Committee.

The agenda was accordingly deferred.

Agenda Item No. 04: Monitoring of performance of APRs in respect of M/s Arklite Speciality Lamps Pvt Ltd

After deliberation, the Committee noted the performance of the EOU unit for 2 Block Periods of 5 years i.e. FY 2013-14 to FY 2023-24(till 13.06.2023) in terms of para 6.12 of the Handbook of Procedures, 2023 (HBP-2023) r/w Clause 7(a) & (b) of Appendix 6F, Part B (Scheme Specific condition) to HBP-2023. The committee observed that the unit has achieved positive NFE on cumulative basis for the 2 Block Periods of 5 years i.e. FY 2013-14 to FY 2023-24(till 13.06.2023) as given below:

Block Period	Monitoring period	Cumulative NFE Achieved In Rs. Lakhs	Cumulative % NFE Achieved
2 nd	5 years i.e FY 2013-14 to FY 2017-18	940.81	38.24%
3 rd	5 years i.e. FY 2018-19 to FY 2022-23 (including period of 01.04.2023 to 13.06.2023)	900.69	84.44%

The Committee noted the delay in filing the APRs for the year FY 2018-19 (15 days), FY 2021-22 (117 days) & FY 2023-24(765 days) and directed to issue Show Cause Notice to the unit.

Agenda Item No. 05: Monitoring of performance of APRs in respect of M/s John Deere India Pvt Ltd.

The Approval Committee reviewed the performance of **M/s John Deere India Pvt Ltd** an EOU for 1st Block Period of 5 years i.e. FY 2018-19 to FY 2022-23, and 3 years (FY 2023-24, FY 2024-25 & FY 2025-26) of 2nd Block period. The Committee observed that the unit had achieved positive NFE on a cumulative basis for 1st Block Period of 5 years i.e. FY 2018-19 to FY 2022-23, and 3 years (FY 2023-24, FY 2024-25 & FY 2025-26) of 2nd Block period as detailed below:

Block Period	Monitoring period	Cumulative NFE Achieved In Rs. Lakhs	Cumulative % NFE Achieved
1 st	5 years i.e FY 2018-19 to FY 2022-23	2898.23	60.32%
2 nd	3 years i.e. FY 2023-24 to FY 2025-26	2402.09	64.97%

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

(ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयएएस)
(Dnyaneshwar B. Patil, IAS)
अध्यक्ष-सह- विकास आयुक्त
Chairman-cum- Development Commissioner